तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील जीसीएमएस नम्बर 2025/1441 **राजस्थान सरकार बनाम महावीर**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.07.2025	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी की ओर से श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल,राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से श्री संजीव कुमार, एड. ने वकालतनामा पेश किया। शा.फा.हो। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस एडमीशन पर सुनी गई। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट ने जिला कलक्टर झुंझुनूं के प्रशासनिक आदेश क्रमांक प.12(3) ( )राजस्व/2025/1243 दिनांक 16.05.2025 जिसके द्वारा गैर खातेदारी में दर्ज भूमि को खातेदारी अधिकार प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र के क्रम में विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.05.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील की सुनवाई का अधिकार न्यायालय हाजा को प्रदत नही है। ऐसी स्थिति में अपील पर अग्रिम कार्यवाही न्यायालय हाजा के स्तर पर संभव नही है। अतः उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हस्तगत अपील पर अग्रिम कार्यवाही न्यायालय हाजा के स्तर पर संभव नहीं होने से परिणामतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। यदि अपीलार्थी को कोई आपत्ति है तो वे सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने के लिये स्वतंत्र है। इस न्यायालय के स्तर से पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो। आदेश सुनाया गया। (दीप्ति कछवाहा) अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर	